इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in
से भी डाउन लोड किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 494] भोपाल, शनिवार, दिनांक 25 अक्टूबर 2014—कार्तिक 3, शक 1936

विधि और विधायी कार्य विभाग

भोपाल, दिनांक 25 अक्टूबर, 2014

क्र. 6139-268-इक्कीस-अ(प्रा.).—भारत के संविधान के अनुच्छेद 213 के अधीन मध्यप्रदेश के राज्यपाल द्वारा प्रख्यापित किया गया निम्नलिखित अध्यादेश सर्वसाधारण की जानकारी के लिए प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
राजेश यादव, अपर सचिव.

मध्यप्रदेश अध्यादेश

क्रमांक ८ सन् २०१४

मध्यप्रदेश श्रम कल्याण निधि (संशोधन) अध्यादेश, २०१४

[''मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण)'' में दिनांक 25 अक्टूबर, २०१४ को प्रथम बार प्रकाशित किया गया.]

भारत गणराज्य के पैंसठवें वर्ष में राज्यपाल द्वारा प्रख्यापित किया गया.

मध्यप्रदेश श्रम कल्याण निधि अधिनियम, १९८२ को और संशोधित करने हेतु अध्यादेश.

यतः, राज्य के विधान-मंडल का सत्र चालू नहीं है और मध्यप्रदेश के राज्यपाल का यह समाधान हो गया है कि ऐसी परिस्थितियां विद्यमान हैं, जिनके कारण यह आवश्यक हो गया है कि वे तुरन्त कार्रवाई करें ;

अतएव, भारत के संविधान के अनुच्छेद २१३ के खण्ड (१) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, मध्यप्रदेश के राज्यपाल निम्नलिखित अध्यादेश प्रख्यापित करते हैं :—

१. (१) इस अध्यादेश का संक्षिप्त नाम मध्यप्रदेश श्रम कल्याण निधि (संशोधन) अध्यादेश, २०१४ है. **संक्षिप्त नाम.**

(२) यह मध्यप्रदेश राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होगा.

मध्यप्रदेश अधिनियम क्रमांक ३६ सन् १९८३ का अस्थायी रूप से संशोधित किया जाना.

२. इस अध्यादेश के प्रवर्तित रहने की कालावधि के दौरान, मध्यप्रदेश श्रम कल्याण निधि अधिनियम, १९८२ (क्रमांक ३६ सन् १९८३) (जो इसमें इसके पश्चात् मूल अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट है), धारा ३ तथा ४ में विनिर्दिष्ट संशोधनों के अध्यधीन रहते हुए प्रभावी होगा.

धारा २८ का स्थापन.

३. मूल अधिनियम की धारा २८ के स्थान पर, निम्नलिखित धारा स्थापित की जाए, अर्थात् :—

छूट.

"२८ (१) इस अधिनियम में की कोई भी बात, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, २००६ (२००६ का २७) के अधीन सूक्ष्म उद्योग के रूप में वर्गीकृत किसी स्थापना या औद्योगिक सत्ता को लागू नहीं होगी.

(२) उपधारा (१) के उपबंधों के होते हुए भी, राज्य सरकार, यदि उसका समाधान हो जाता है कि कर्मकारों के हित में ऐसा करना आवश्यक है, किसी सूक्ष्म उद्योग या सूक्ष्म उद्योगों के वर्ग को प्रदान की गई कोई छूट, आंशिक रूप से या पूर्ण रूप से वापस ले सकेगी.".

धारा १४-घ का अन्तःस्थापन.

४. मूल अधिनियम की धारा १४-ग के पश्चात्, अध्याय-3 में, निम्नलिखित धारा अन्तःस्थापित की जाए, अर्थात् :—

रजिस्टर तथा अभिलेख संधारित करने के लिए समेकित प्ररूप तथा नियोजकों द्वारा प्रतिवेदनों तथा विवरणियों का प्रस्तुत किया जाना.

"१४-घ इस अधिनियम के किसी अन्य उपबंध में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, सरकार, आदेश द्वारा किसी नियोजक या स्थापना द्वारा रजिस्टरों को संधारित करने और प्रतिवेदन तथा विवरणियां प्रस्तुत करने के लिए समेकित प्ररूप प्रकल्पित या अधिसूचित कर सकेगी :

परन्तु सरकार रजिस्टर और अभिलेख कम्प्यूटरीकृत या डिजीटल फार्मेट में संधारित करने के लिए अनुज्ञात कर सकेगी.".

भोपाल :

तारीख : २२ अक्टूबर, सन् २०१४.

राम नरेश यादव
राज्यपाल,
मध्यप्रदेश.

भोपाल, दिनांक 25 अक्टूबर, 2014

क्र. 6140-268-इक्कीस-अ(प्रा.).—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में मध्यप्रदेश श्रम कल्याण निधि (संशोधन) अध्यादेश, 2014 (क्रमांक 8 सन् 2014) का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
राजेश यादव, अपर सचिव.

MADHYA PRADESH ORDINANCE
No. 8 of 2014

THE MADHYA PRADESH SHRAM KALYAN NIDHI (SANSHODHAN) ADHYADESH, 2014

[First published in the "Madhya Pradesh Gazette (Extra-ordinary)", dated the 25th October, 2014.]

Promulgated by the Governor in the sixty-fifth year of the Republic of India.

An Ordinance further to amend the Madhya Pradesh Shram Kalyan Nidhi Adhiniyam, 1982.

WHEREAS the State Legislature is not in session and the Governor of Madhya Pradesh is satisfied that circumstances exist which render it necessary for him to take immediate action;

Now, THEREFORE, in exercise of the powers conferred by clause (1) of article 213 of the Constitution of India, the Governor of Madhya Pradesh is pleased to promulgated the following Ordinance :—

1. (1) This Ordinance may be called the Madhya Pradesh Shram Kalyan Nidhi (Sanshodhan) Adhyadesh, 2014. **Short title and commencement.**

(2) It shall come into force on the date of its publication in the Madhya Pradesh Gazette.

2. During the period of operation of this Ordinance, the Madhya Pradesh Shram Kalyan Nidhi Adhiniyam, 1982 (No. 36 of 1983) (hereinafter referred to as the principal Act), shall have effect subject to the amendments specified in Section 3 and 4. **Madhya Pradesh Act No. 36 of 1983 to be temporarily amended.**

3. For Section 28 of the principal Act, the following section shall be substituted, namely :— **Substitution of Section 28.**

"28. (1) Nothing in this Act shall apply to an establishment or industrial entity classified as 'Micro Industry' under the Micro, small and Medium Enterprises Development Act, 2006 (No. 27 of 2006). **Exemption.**

(2) Notwithstanding the provisions of sub section (1), the State Government may withdraw, partially or fully, any exemption granted to any Micro Industry or category of Micro Industries, if it is satisfied that it is so required in the interest of workers.".

4. After Section 14-C of the principal Act, the following section shall be inserted in chapter III, namely :— **Insertion of Section 14-D.**

"14-D. Notwithstanding anything contained in any other provision of the Act, Government may by order, devise or notify consolidated forms for maintaining registers and furnishing reports and returns by an employer or establishment : **Consolidated forms to maintain registers and records and furnishing of report and returns by employers.**

Provided that the Government may allow the registers and records to be maintained in computerised or digital formates.".

Bhopal :

Dated the 22nd October, 2014.

RAM NARESH YADAV
Governor,
Madhya Pradesh.

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित—2014.